

कार्मिक अनुभाग-2
संख्या- 43 A/XXX(2)/2013
देहरादून: 09 जनवरी, 2013

अधिसूचना संख्या 43/XXX(2)/2013-3 (1)/2007. दिनांक 09 जनवरी, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित करा कर इसकी 300 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग-2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव विधान सभा उत्तराखण्ड।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
9. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
10. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायू मण्डल।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. अधिसासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सहायक: उपायुक्त।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या- 43 /XXX(2)/2013-3(1)2007
देहरादून: दिनांक 09 जनवरी, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति हेतु 'ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता' के आधार पर किए जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया विषयक अधिसूचना संख्या 479/XXX(2)/2009-3(1)/2007, दिनांक 08 जुलाई, 2009 का अधिकृत करते हुए एवं 'उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली, 2003' तथा 'उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा नर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004' के परिपेक्ष्य में, पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013

- संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013" है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- अवरोही प्रभाव 2. यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।
- 'ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया' (1) अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए 'ज्येष्ठता' अथवा 'ज्येष्ठता सह श्रेष्ठता' के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति में "उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली, 2003" के नियम 5 के उपबन्धों के अधीन बनायी गयी पात्रता सूची में सम्मिलित कार्मिकों के नामों पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनके ज्येष्ठता क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में विचार किया जायेगा। सर्वप्रथम ज्येष्ठतम कार्मिक के नाम पर विचार करते हुए उपयुक्त या अनुपयुक्त श्रेणीकृत करने के बाद दूसरे तथा तीसरे और आगे इसी प्रकार कार्मिकों के नामों पर विचार तब तक किया जायेगा, जब तक कि

शिक्षियों की तुलना में वांछित संख्या में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध न हो जाँय। जब प्रोन्नति के लिए वांछित संख्या में उपयुक्त श्रेणीकृत कार्मिक उपलब्ध हो जाँय तब उसके बाद के कार्मिकों के नामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसार 'उपयुक्त' कार्मिकों के चयन हेतु सम्बन्धित कार्मिकों की, प्रोन्नति के पद के नीचे के पदों पर कार्य करने की अधि की अद्यतन 05 वर्षों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां देखी जायेंगी। यदि चयन के दिनांक को चयन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की प्रविष्टि नहीं लिखी गयी है और प्रविष्टि लिखे जाने का अवसर निर्दिष्ट समय-सारिणी अनुसार उपलब्ध है तो चयन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के बजाय पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व की प्रविष्टि से प्रारम्भ करते हुए विगत कुल पांच वर्षों की प्रविष्टियां देखी जायेंगी। यदि 05 वर्ष की प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं हैं और ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध न होने के पर्याप्त कारण हैं तो उतने वर्ष/अधि और पीछे की प्रविष्टियां देखी जायेंगी जितनी कि 05 वर्ष पूर्ण करने हेतु आवश्यक हो, किन्तु किसी दशा में पांच वर्ष की प्रविष्टियां उपलब्ध न हो पाये (यथा प्रविष्टि अंकित न हो पाने विषयक सकारण प्रमाण पत्र अंकित हो अथवा कुल सेवा ही पांच वर्ष से कम हो, आदि) तो उपलब्ध प्रविष्टियों एवं अन्य संगत सेवा अभिलेखों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

(3) यदि पात्रता क्षेत्र में शामिल कार्मिकों की विगत 05 वर्षों की चरित्र प्रविष्टियों में से न्यूनतम चार प्रविष्टियां 'उत्तम' या 'उत्कृष्ट' श्रेणी में वर्गीकृत हो, तभी, ऐसे कार्मिक को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु उपयुक्त घोषित किया जायेगा।

(4) यदि उपनियम (2) के अनुसार विगत 05 वर्ष में से किसी भी एक वर्ष में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अथवा अन्यथा किसी कार्मिक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो, तो ऐसे कार्मिकों को प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं समझा जायेगा। सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित होने से 5 वर्ष तक सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जायेगा।

- (5) उपर्युक्त के अनुसार की जाने वाली पदोन्नति में कार्मिक केवल अपनी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत करने का दावा नहीं कर सकता। उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार यदि कार्मिक पदोन्नति हेतु 'अनुपयुक्त' घोषित होता है तो चयन समिति उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति हेतु विचार करके संस्तुत कर सकती है।
- (6) जिस कार्मिक को पदोन्नति के लिए चयन में 'अनुपयुक्त' घोषित किया जायेगा, उसे सूचित किया जायेगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के अनुरूप उसे 'अनुपयुक्त' घोषित किया गया है।
- (7) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्र कार्मिकों पर ज्येष्ठता के अवरोधी क्रम में विचार करते हुए उन्हें 'उपयुक्त' अथवा 'अनुपयुक्त' घोषित करने के पश्चात् उपयुक्त पाये गये कार्मिकों को उनकी ज्येष्ठता क्रम के अनुसार पदोन्नति हेतु संस्तुत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम की कोई बात समूह 'घ' के कार्मिकों की समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/पदोन्नति के मामलों पर लागू नहीं होगी। समूह 'घ' से समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008 में निहित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

श्रेष्ठता के आधार पर चयन की प्रक्रिया

- (1) किसी सेवा की नियमावली में अथवा कार्मिक विभाग की किसी नियमावली में 'योग्यता', 'श्रेष्ठता', 'सर्वथा श्रेष्ठता' (स्ट्रिक्टली मेरिट) अथवा 'मुख्य रूप से श्रेष्ठता' (प्राइमरिली ऑन मेरिट) या 'समस्त पात्रता क्षेत्र से श्रेष्ठतानुसार कड़ाई से चयन' (रिगरेसली सलेक्शन ऑन मेरिट) अथवा 'होल फील्ड ऑफ एलीजीबिलिटी' अथवा 'सर्वथा श्रेष्ठतानुसार' अथवा 'श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता' या किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिसमें पदोन्नति हेतु चयन करने में 'योग्यता/श्रेष्ठता' को आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् 'श्रेष्ठता' (मेरिट) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा।
- (2) उपरोक्त खण्ड (1) के आधार पर होने वाली पदोन्नति का मुख्य आधार 'श्रेष्ठता' होगा। 'श्रेष्ठता' के मूल्यांकन का आधार कार्मिक की संस्थानिष्ठा,

- (5) उपर्युक्त के अनुसार की जाने वाली पदोन्नति में कार्मिक केवल अपनी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत करने का दावा नहीं कर सकता। उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार यदि कार्मिक पदोन्नति हेतु 'अनुपयुक्त' घोषित होता है तो चयन समिति उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति हेतु विचार करके संस्तुत कर सकती है।
- (6) जिस कार्मिक को पदोन्नति के लिए चयन में 'अनुपयुक्त' घोषित किया जायेगा, उसे सूचित किया जायेगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के अनुरूप उसे 'अनुपयुक्त' घोषित किया गया है।
- (7) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्र कार्मिकों पर ज्येष्ठता के अवरोही क्रम में विचार करते हुए उन्हें 'उपयुक्त' अथवा 'अनुपयुक्त' घोषित करने के पश्चात् 'उपयुक्त' पाये गये कार्मिकों को उनकी ज्येष्ठता क्रम के अनुसार पदोन्नति हेतु संस्तुत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम की कोई बात समूह 'घ' के कार्मिकों की समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/पदोन्नति के मामलों पर लागू नहीं होगी। समूह 'घ' से समूह 'ग' के पदों पर भर्ती 'अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008' में निहित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

'श्रेष्ठता के आधार पर चयन की प्रक्रिया

- (1) किसी सेवा की नियमावली में अथवा कार्मिक विभाग की किसी नियमावली में 'योग्यता', 'श्रेष्ठता', 'सर्वथा श्रेष्ठता' (स्ट्रिक्टली मैरिट) अथवा मुख्य रूप से श्रेष्ठता (प्राइमरिली ऑन मैरिट) या समस्त पात्रता क्षेत्र से श्रेष्ठतानुसार कड़ाई से चयन (रिगरेसली सलेक्शन ऑन मैरिट) अथवा 'फोर्-दो-डोल फील्ड ऑफ एलीजीबिलिटी) अथवा 'सर्वथा श्रेष्ठतानुसार' या 'श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता' या किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिसमें पदोन्नति हेतु चयन करने में 'योग्यता/श्रेष्ठता' को आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् 'श्रेष्ठता (मैरिट) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा।
- (2) उपरोक्त खण्ड (1) के आधार पर होने वाली पदोन्नति का मुख्य आधार 'श्रेष्ठता' होगा। 'श्रेष्ठता' के मूल्यांकन का आधार कार्मिक की संस्थानिष्ठा,

नेतृत्व प्रदान करने व त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, तकनीकी/विषयज्ञान, विशिष्ट उपलब्धियां/योगदान, कार्य के सुगमता से निष्पादन की क्षमता इत्यादि गुण होंगे। इसके लिए वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां, विशेष प्रविष्टियां, व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध अन्य अभिलेख एवं विभागीय पदोन्नति समिति के संज्ञान में लाये गये अन्य तथ्य होंगे।

(3) पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित कार्मिकों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए चयन वर्ष, जिसके लिए चयन किया जा रहा है, के ठीक पूर्व के 05 वर्षों की प्रविष्टियाँ देखी जायेंगी, किन्तु यदि चयन के दिनांक को चयन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की प्रविष्टि नहीं लिखी गयी है और प्रविष्टि लिखे जाने का अवसर निर्दिष्ट समय-सारिणी अनुसार उपलब्ध है, तब चयन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के बजाय पूर्ववर्ती वर्ष से ठीक पूर्व की प्रविष्टि से प्रारम्भ करते हुए विगत पांच वर्षों की प्रविष्टियाँ देखी जायेंगी। यदि 05 वर्ष की प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं हैं और प्रविष्टि उपलब्ध न होने के पर्याप्त कारण हों तो उतने वर्ष/अवधि की और पीछे की प्रविष्टियाँ देखी जायेंगी जितनी कि 05 वर्ष पूर्ण करने हेतु आवश्यक हो, किन्तु यदि किसी भी दशा में पांच वर्ष की प्रविष्टियाँ उपलब्ध न हो पाये, (यथा प्रविष्टि अंकित ही न हो पाने विषयक सकारण प्रमाण पत्र अंकित हो अथवा कुल सेवा ही पांच वर्ष से कम हो, आदि) तब उपलब्ध प्रविष्टियों एवं अन्य संगत सेवा अभिलेखों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

(4) उप नियम (3) में निर्दिष्ट वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों का मूल्यांकन 'उत्कृष्ट', 'अति उत्तम', 'उत्तम', 'अच्छा/संतोषजनक' एवं 'प्रतिकूल' वर्ग में किया जायेंगा। 12 माह की 'उत्कृष्ट' प्रविष्टि के लिए 10 अंक, 'अति उत्तम' प्रविष्टि के लिए 08 अंक, 'उत्तम' प्रविष्टि के लिए 05 अंक, 'अच्छा/संतोषजनक' प्रविष्टि के लिए 02 अंक तथा 'प्रतिकूल' प्रविष्टि के लिए 05 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जायेंगे। 12 माह से कम अवधि के लिए प्राप्त अंक को कुल माह जिनकी प्रविष्टि मूल्यांकित की गयी 1/12 के अनुपात में कम कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग को कुल माहों (जिसकी प्रविष्टि मूल्यांकित की गयी) से विभाजित

करने पर औसत मासिक अंक प्राप्त होगा जिसे 12 से गुणा करने पर औसत वार्षिक अंक प्राप्त होगा। अर्थात्, कार्मिक को प्राप्त होने वाले औसत वार्षिक अंक की गणना निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जायेगी:-

कुल प्राप्तांक X 12

कुल मूल्यांकित माह

- (5) उपरोक्त खण्ड 4 के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर 06 से कम औसत वार्षिक अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक 'श्रेष्ठता' के पैमाने पर पदोन्नति हेतु 'अनुपयुक्त' माने जायेंगे। 08 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 'अति उत्तम' श्रेणी में तथा 06 व इससे अधिक किन्तु 08 से कम अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक को 'उत्तम' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा। इस प्रकार किए गए वर्गीकरण से 'श्रेष्ठता' मानदण्ड पर कार्मिकों का चिन्हीकरण 'अति उत्तम', 'उत्तम' एवं 'अनुपयुक्त', इन तीनों वर्गों में कर लिया जायेगा।
- (6) 'श्रेष्ठता' के पैमाने में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 'अति उत्तम' अथवा 'उत्तम' श्रेणी में वर्गीकृत कार्मिकों में से सबसे पहले 'अति उत्तम' श्रेणी में वर्गीकृत कार्मिकों को उनके ज्येष्ठताक्रम के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक पदोन्नति हेतु संस्तुत किया जायेगा; और यदि 'अति उत्तम' श्रेणी के कार्मिकों के चयन के पश्चात् भी रिक्तियाँ बचती हैं, तब शेष रिक्तियों के लिए 'उत्तम' श्रेणी में वर्गीकृत कार्मिकों को उनके ज्येष्ठताक्रम के अनुसार रिक्तियों की सीमा तक पदोन्नति हेतु संस्तुत किया जायेगा। इस प्रकार 'अति उत्तम' तथा 'उत्तम' श्रेणी में वर्गीकृत एवं पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिकों को उनके ज्येष्ठताक्रम के अनुसार पदोन्नति की जायेगी। उपलब्ध रिक्तियों की सीमा के बाद 'अति उत्तम' / 'उत्तम' श्रेणी में वर्गीकृत अवशेष अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु संस्तुत नहीं किया जायेगा।
- (7) जिस कार्मिक की चयन वर्ष के ठीक पूर्व के 05 वर्षों में से किसी एक भी वर्ष में वार्षिक गोपनीय/विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित हो, उसे कार्मिक को पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं संज्ञा

जायेगा, भले ही उपलब्ध प्रविष्टियों का अंक मूल्यांकित करने पर उसे पदोन्नति हेतु संस्तुत किये गये अन्य कार्मिक से भी अधिक अंक प्राप्त हो रहा हो।

- (8) 'श्रेष्ठता' के घयन में अवक्रमित अनुपयुक्त माने गए कार्मिक को सूचित किया जायेगा कि यह विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा है।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह शक्ति)
सचिव।